पर्यटन मंत्रालय

मांग संख्या 93

पर्यटन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		994.00	70.00	1064.00	942.00	70.00	1012.00	1039.00	69.41	1108.41
पूंजी		*6.00*	...	*6.00*	*8.00*	...	*8.00*	*11.00*	...	*11.00*
जोड़		**1000.00**	**70.00**	**1070.00**	**950.00**	**70.00**	**1020.00**	**1050.00**	**69.41**	**1119.41**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	5.50	5.50	...	5.50	5.50	...	5.60	5.60
पर्यटन										
2. महानिदेशक, पर्यटन-निदेशन तथा प्रशासन	3452	14.00	50.00	64.00	9.50	50.00	59.50	13.00	50.15	63.15
	3601	...	...	...	1.00	...	1.00	1.50	...	1.50
	3602	...	...	...	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	जोड़	14.00	50.00	64.00	11.00	50.00	61.00	15.00	50.15	65.15
3. *पर्यटक सूचना और प्रचार*										
3.01 घरेलू अभियान	3452	54.00	0.20	54.20	52.00	0.20	52.20	62.50	0.20	62.70
	3601	...	...	...	3.00	...	3.00	4.50	...	4.50
	3602	...	...	...	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50
	जोड़	54.00	0.20	54.20	56.00	0.20	56.20	67.50	0.20	67.70
3.02 विदेशी अभियान	3452	250.00	...	250.00	240.00	...	240.00	275.00	...	275.00
	जोड़	*304.00*	*0.20*	*304.20*	*296.00*	*0.20*	*296.20*	*342.50*	*0.20*	*342.70*
4. पर्यटक अवसंरचना	3452	125.00	...	125.00	120.00	...	120.00	239.00	...	239.00
	3601	306.00	...	306.00	306.00	...	306.00	210.00	...	210.00
	जोड़	20.00	...	20.00	8.00	...	8.00	10.00	...	10.00
	5452	6.00	...	6.00	8.00	...	8.00	11.00*	...	11.00
	जोड़	457.00	...	457.00	442.00	...	442.00	470.00	...	470.00
5. प्रशिक्षण	3452	103.00	10.80	113.80	89.70	10.80	100.50	94.50	10.20	104.70
	3601	3.00	...	3.00	11.00	...	11.00	8.00	...	8.00
	जोड़	106.00	10.80	116.80	100.70	10.80	111.50	102.50	10.20	112.70
6. अन्य व्यय	3452	19.00	3.00	22.00	5.30	3.00	8.30	15.00	2.66	17.66
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजना/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	100.00	...	100.00	95.00	...	95.00	105.00	...	105.00
8. विविध सामान्य सेवाएं-विनिमय द्वारा हानि	2075	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.60	0.60
जोड़-पर्यटन		**1000.00**	**64.50**	**1064.50**	**950.00**	**64.50**	**1014.50**	**1050.00**	**63.81**	**1113.81**
कुल जोड़		***1000.00***	***70.00***	***1070.00***	***950.00***	***70.00***	***1020.00***	***1050.00***	***69.41***	***1119.41***

* इसमें ईएपी घटक के रूप में 10 करोड़ रुपये शामिल हैं।

ग. **आयोजना परिव्यय**	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. सामान्य आर्थिक सेवाएं-पर्यटन	13452	900.00	...	900.00	855.00	...	855.00	945.00	...	945.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	100.00	...	100.00	95.00	...	95.00	105.00	...	105.00
जोड़		**1000.00**	**...**	**1000.00**	**950.00**	**...**	**950.00**	**1050.00**	**...**	**1050.00**

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं**ः इसमें पर्यटन मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय की पूर्ति के लिए व्यवस्था की गई है।

2. **निदेशन एवं प्रशासनः** यह व्यवस्था पर्यटन महानिदेशालय के मुख्यालय की स्थापना और इसके अंतर्गत क्षेत्रीय तथा फील्ड कार्यालयों पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए है। उनकी मुख्य गतिविधियां पर्यटन संबंधी सूचना का प्रसार करना, पर्यटन संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, यात्रा उद्योग से संबद्ध विभिन्न खंडों जैसे होटलों, ट्रेवल एजेंटों, गाइडों आदि का विनियमन करना है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, बेहतर पर्यटन सुविधा मुहैया कराने के लिए पर्यटन मंत्रालय और राज्य/संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की पहलों के लिए प्रावधान शामिल है।

3. **पर्यटन सूचना एवं प्रचारः** संवर्धन और विपणन सम्बन्धी कार्य भारत में और भारत से बाहर स्थित भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। नियमित संवर्धनात्मक कार्यकलापों के अतिरिक्त प्रचार सामग्री का उत्पादन, केन्द्रीकृत और सामान्य विषय आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रचार अभियान नियमित रूप से प्रमुख प्रिंट, इलेक्ट्रानिक, आऊटडोर तथा वेब माध्यमों में चलाए जाते हैं। वर्ष 2000-01 से विपणन विकास सहायता योजना सहित आतिथ्य तथा विशेष अभियान शुरू किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत हित धारक विदेशों में संवर्धनात्मक गतिविधियां चलाने के लिए सहायता लेने के पात्र हैं।

4. **पर्यटन अवसंरचनाः** इस प्रावधान का सम्बन्ध बजट होटलों, मार्ग के किनारे पर्यटन सुविधाओं, पर्यटन स्वागत केन्द्रों, स्मारकों की पुनः साफ-सफाई, विशेष पर्यटन परियोजनाओं, साहसी और क्रीड़ा सुविधाओं, साउन्ड व लाइट शो, स्मारकों की दीपसज्जा के निर्माण संबंधी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन पर किए जाने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं मल-व्यवस्था

प्रबन्ध में सुधार, आस-पास के परिवेश का सुधार, नामपट्ट सुधार, पर्यटन से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध उपस्करों की अधिप्राप्ति तथा ग्रामीण परियोजनाओं आदि के लिए व्यय की व्यवस्था है। यह प्रावधान अत्यधिक राजस्व सर्जक परियोजनाओं, पर्यटन रेलगाडियों, समुद्री पर्यटन जलयानों, कनवेंन्शन केन्द्र, गोल्फ के मैदानों आदि के जरिए फीस या प्रयोगकर्ता प्रभारों को उद्ग्रहित करके राजस्व संग्रहण तथा सरकारी-निजी भागीदारी से भूमि खरीदकर तथा होटल का निर्माण करके देश में होटल आवास प्रदान करने हेतु होटलों के वास्ते भूमि बैंक के सृजन से संबंधित है। इस प्रावधान में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (यूएनडीपी की अन्तर्जात पर्यटन परियोजनाओं सहित), पर्यटन के अवसंरचनात्मक विकास के लिए और गुलमर्ग में भारतीय स्कीईंग तथा पर्वतारोहण संस्थान के भवन निर्माण के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता शामिल है।

5. **प्रशिक्षण**: देश में पर्यटन के विकास के लिए प्रशिक्षित मानवशक्ति का होना एक आवश्यक विशेषता है। इस समय, 41 होटल प्रबन्धन संस्थान (आईएचएम) (जिनमें 12 निजी क्षेत्र के हैं) और 5 खाद्य शिल्प संस्थान(एफसीआई) हैं, जो राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं खान-पान प्रौद्योगिकी परिषद के पाठयक्रम अपना रहे हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय पर्यटन तथा यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) और राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान (एनआईडब्ल्यूएस) अन्य निकाय हैं जो पर्यटन में मानवशक्ति के विकास के कार्य से जुड़े हैं। इसके अलावा, नए के साथ-साथ मौजूदा सेवा प्रदाताओं जिनमें पर्यटन स्थलों, हवाई अड्डे आदि पर तैनात गाइड, सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, के लिए विभिन्न अवधियों के नियमित पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने भी खाद्य तथा पेय सेवाओं और खाद्य उत्पादन में 6 सप्ताह तथा 8 सप्ताहों के कार्यक्रम के माध्यम से देश में नवयुवकों में रोजगार लायक कौशल सृजित करने के लिए विशेष उपाय किए हैं। दूसरा विशेष प्रयास टैक्सी और ऑटोरिक्शा ड्राइवरों के प्रशिक्षण से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय को केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थान तथा भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन में उनके द्वारा अपने कर्मचारियों को चुकाई गई बकाया राशि के संबंध में प्रतिपूर्ति की जाने की भी जरुरत होगी।

6. **अन्य व्यय**: यह प्रावधान होटलों के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिम तौर पर दिए गए ऋणों पर विनिर्दिष्ट ब्याज सब्सिडी तथा पूंजी सब्सिडी के भुगतान के लिए और होटलों के निर्माण, बाजार अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय निकायों को योगदान के लिए निवेश सब्सिडी तथा भारत सरकार के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में दिए गए विनिवेश के संबंध में पश्च समापन समायोजन के भुगतानों के लिए की गई व्यवस्था भी शामिल है।

7. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त व्यवस्थाः** पूर्वोत्तर में विविध प्रकार के पर्यटन की उपलब्धता होने से इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास की अत्यधिक गुंजाइश है। पर्यटन मंत्रालय के आयोजना आवंटन का 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में पर्यटन के विकास और उसे बढ़ावा देने के लिए रखा गया है।

8. **विविध सामान्य सेवाएं:** इसमें विदेश स्थित भारत सरकार के पर्यटक कार्यालयों के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय के कारण होने वाली हानि के भुगतान के लिए की गई व्यवस्था शामिल है।

http://indiabudget.nic.in